सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–20444/2014, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स एण्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स (बिहार चैप्टर) बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य मामले के आलोक में दिनांक–07.10.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0– 20444/2014, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स एण्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स (बिहार चैप्टर) बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं दिनांक–20.09.2017 के आदेशों के आलोक में राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निम्नांकित निदेश दिये गये–

(i) राज्य के सभी सिविल सर्जन विभागीय पत्रांक–637(1) दिनांक–13.06.2017 द्वारा परिचालित चेकलिस्ट– I एवं II के आधार पर अपने–अपने क्षेत्राधिकार में संचालित सभी पैथोलॉजी जाँच–घर, डायग्नोस्टिक सेन्टर आदि का तुरंत जाँच कराया जाना सुनिश्चित करें कि qualified चिकित्सक के साथ मापदण्ड के अनुरूप संचालित हैं अथवा नहीं ?

(ii) वैसे सभी जाँच–घर/डायग्नोस्टिक सेन्टर आदि जो qualified चिकित्सक के बिना अथवा मापदण्ड के अनुरूप संचालित नहीं पाये जायें, उनसे 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की जाय। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर ऐसे जाँच–घर/सेन्टरों आदि को अविलम्ब बन्द कराया जाय। बन्द कराये जाने के बावजूद ऐसे जाँच–घरों/सेन्टरों आदि के कार्यरत पाये जाने की स्थिति में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(iii) जाँच–घरों/डायग्नोस्टिक सेन्टरों आदि के जाँचोपरान्त विभिन्न प्रकार के जाँच–घरों/डायग्नोस्टिक सेन्टरों आदि के संदर्भ में निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिवेदन तीन कार्य दिवसों (अर्थात् दिनांक–11.10.2017 तक) के अन्तर्गत निश्चितरुपेण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय–

<u>जिला का नाम</u>–

(क) जाँच–घरों/डायग्नोस्टिक सेन्टर की कुल संख्या–
(सूची संलग्न करें)

(ख) Qualified चिकित्सक के साथ मानक के अनुरुप संचालित जाँच घरों/डायग्नोस्टिक सेन्टरों की कुल संख्या–
(सूची संलग्न करें)

(ग) Qualified चिकित्सक के बिना अथवा गैर मानक संस्थानों की कुल संख्या–
(सूची संलग्न करें)

(घ) Qualified चिकित्सक के बिना अथवा गैर मानक संस्थानों के विरुद्ध संस्थानवार कृत कार्रवाई का ब्यौरा–
(सूची संलग्न करें)

2– बैठक में सभी सिविल सर्जन को अवगत कराया गया कि प्रदत्त निदेशों के अनुरुप निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में इसे माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों/आदेशों की अवमानना मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना को इससे अवगत कराया जायेगा।

3– अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

9.10.17

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

<u>क्रमशः</u>

E/Sec-1-letter-5

ज्ञापांक–1/कोर्ट–95/2014–1195(1) /स्वा0, पटना, दिनांक–10/10/2017

प्रतिलिपिः– सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.10.17

संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

E/Sec-1-letter-5